

संशोधित केरियर एडवांसमेंट स्कीम (01.01.2009 से प्रभावी) के अंतर्गत
वरिष्ठ वैज्ञानिक (रिसर्च ग्रेड पे 9000 से 10000 में) के मूल्यांकन पदोन्नति
विचारार्थ मामले संबंधी प्रपत्र

अनुसंधान + विस्तार/समन्वयन कार्यों में तैनात वरिष्ठ वैज्ञानिक का मूल्यांकन

क्या पहले मूल्यांकन किया गया	हां या नहीं
यदि हां तो, दिनांक एवं पिछले मूल्यांकन की अवधि:	
दिनांक : _____	अवधि : _____ से _____ तक
वर्तमान मूल्यांकन अवधि _____	से _____ तक
कृपया विधिवत भरे गए प्रपत्र की तीन प्रतियां भेजें।	

संस्थान का नाम _____

1. नाम : _____
2. पदनाम : _____
3. विषय विशेष क्षेत्र (डिप्लोमा) : _____
4. प्रभाग / अनुभाग : _____
5. जन्म तिथि : _____
6. उपाधि की तिथि : एम. फिल _____ पीएचडी : _____
7. भा.कृ.अनु.प. में नियुक्ति दिनांक : _____
8. संस्थान में नियुक्ति दिनांक : _____
9. वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड पे रु. 9000 पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि : _____
10. ग्रेड पे रु. 9000 में 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति दिनांक : _____
- 11(ए) उल्लेखनीय योगदानों का परियोजनावार उल्लेख करें, दो पृष्ठों से अधिक नहीं। : _____

11 (बी) वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवरण, तालिका रूप में
(नीचे विवरण देने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

	भाग-1 वरिष्ठ वैज्ञानिक (आरजीपी 9000) का मूल्यांकन जो मुख्यतः अनुसंधान + विस्तार/ समन्वयन कार्यों में कार्यरत हैं।	योगदान की अवधि			अंक (कार्यालय उपयोग हेतु)	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक
	मूल्यांकन अवधि 3 वर्ष					
	मुख्य गतिविधियां				40	
ए	वैज्ञानिक की अनुसंधान उपलब्धियां				20	
ए01	<ul style="list-style-type: none"> संस्थान परियोजनाएं: पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए प्रधान अन्वेषक को 3.0 अंक, सह प्रधान अन्वेषक को 1.5 अंक (अधिकतम 8 अंक) बाहरी परियोजनाएं: न्यूनतम 10 लाख प्रति पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए प्रधान अन्वेषक को 3.0 अंक, सह प्रधान अन्वेषक को 1.5 अंक 				10	
ए02	<p>विकसित नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां, विकसित प्रतिभागिता प्रौद्योगिकी, प्रोटोटाइप, अनुवांशिक सम्पदा, किस्म, उत्पाद, वैक्सिन, नैदानिक किट, प्रक्रिया, अवधारणा, कार्य प्रणाली, साफ्टवेयर विकास/ डाटाबेस प्रबंधन/ विशेषज्ञ प्रणाली विकास/निर्णय सहायक सिस्टम/मॉडल/ ई-लर्निंग लेसनस/विकसित मॉडल एवं अन्य संबंधित आउटपुट: प्रत्येक आउटपुट के लिए प्रधान अन्वेषक को 4 अंक, सह प्रधान अन्वेषक को 3 अंक</p> <ul style="list-style-type: none"> पेटेंटस: प्रत्येक पेटेंट के लिए प्रधान अन्वेषक एवं सह प्रधान अन्वेषक को 2 अंक; बिना पेटेंट के व्यवसायीकृत/लोकप्रिय बनायी गयी प्रौद्योगिकी के लिए: 3 अंक तथा पेटेंट के साथ व्यवसायीकृत/लोकप्रिय बनायी गयी प्रौद्योगिकी के लिए 5 अंक। 				7	
	<p>प्रौद्योगिकी का प्रसार एवं इसका प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> संगठन के लिए राजस्व आकर्षित करने वाले व्यवसायिक रिलीज/प्रौद्योगिकी का उपयोग (5 से 10 लाख रुपए 1.5 अंक एवं 10 लाख रुपए से अधिक 3 अंक) 300 एकड़ भूमि में प्रदर्शिनियां/खेत परीक्षणों का आयोजन/समन्वयन करना (100 एकड़ निदर्शनी के लिए 1 अंक) अधिकतम 3 अंक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली/सीजीआईएआर/ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शैक्षणिक निकायों के अनुसंधान व शैक्षणिक सदस्यों द्वारा अपनाई गया अवधारणा/कार्य प्रणाली/उत्पाद एवं प्राप्त मान्यता/ सम्मान। अधिकतम 3 अंक 				3	

	भाग-1 वरिष्ठ वैज्ञानिक (आरजीपी 9000) का मूल्यांकन जो मुख्यतः अनुसंधान + विस्तार/ समन्वयन कार्यों में कार्यरत हैं।	योगदान की अवधि			अंक (कार्यालय उपयोग हेतु)	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक
	मूल्यांकन अवधि 3 वर्ष					
	(अनुसंधानात्मक लेख प्रमाण एच इन्डेक्स 3 के रूप में यानि पिछले 8 वर्षों में न्यूनतम 3 प्रकाशित लेखों जिनमें प्रत्येक लेख का 3 बार उल्लेख हुआ हो, पर विचार किया जाएगा) • नोट: एमएससी एवं पीएचडी कार्यों से प्रकाशित लेखों पर विचार नहीं किया जाएगा।					
	क्षमता निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन/रिपोर्टिंग तथा संस्थागत निर्माण					
	क्षमता निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन/रिपोर्टिंग				15	
ए03	क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन तथा कार्य-शालाओं, जोनल कार्यशालाओं, वार्षिक समीक्षा बैठकें और/या इन्टरफेस बैठकों का सेंसीटाइजेशन (प्रत्येक गतिविधि के लिए 1 अंक प्रति वर्ष)				3	
ए04	प्रौद्योगिकी एवं कार्य प्रणाली संपर्क स्थापित करना। प्रौद्योगिकी सूची एवं कार्य प्रणाली मोड्यूल तैयार करना। कंवरेंन्स एण्ड लिंकेज स्थापित करना। (प्रत्येक गतिविधि के लिए 1 अंक प्रति वर्ष)				3	
ए05	एआईसीआरपी गतिविधियों की निगरानी: एआईसीआरपी के ओएफटी, एफएलडी तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता (प्रत्येक गतिविधि के लिए 1 अंक प्रति वर्ष)				3	
ए06	एआईसीआरपी रिपोर्ट का संकलन एवं मूल्यांकन। एआईसीआरपी अधिदेशित गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण। केस अध्ययन/सफलताओं का विवरण तैयार करना। (प्रत्येक गतिविधि के लिए 1 अंक प्रति वर्ष)				3	
ए07	<ul style="list-style-type: none"> रिपोर्टिंग: जोनल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट आदि तैयार करना। (प्रत्येक गतिविधि के 0.5 अंक प्रति वर्ष) संस्थागत निर्माण (आरएसी/एसआरसी/क्यूआरटी/ पीएमई सेल/सीपीसी/आईपीआर/ टेक्नीकल सेल में स्पष्ट परिभाषित सदस्य सचिव के रूप में कार्य/ वार्षिक एवं एआईसीआरपी रिपोर्टों का संपादन/ एरिस सेल, वीडियो कांफरेन्सिंग, एचआरडी सेल के प्रभारी) (प्रत्येक कार्यभार के लिए 0.5 अंक प्रति वर्ष) (अधिकतम केवल 3 अंक) जर्मप्लाज्म संग्रहण, प्रलेखन एवं संरक्षण (प्रति वर्ष कार्य के लिए 0.5 अंक) अधिकतम 2 अंक बीज व रोपण सामग्री के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण, कैटल यार्ड प्रभारी, मत्स्य व मत्स्य बीज 				3	

